

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारा  
पीठासीन अधिकारी:- श्री आशीष कुमार (आरएएस)  
निर्णय

प्रकरण सख्या : 44/2018

बउनवान:-

विजयशंकर पुत्र जयकिशन जाति कोली निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. रामप्रताप पुत्र जयकिशन जाति कोली निवासी देवरा बाबाजी के पा बोहत तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जयें जिला कलक्टर बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वकील वादी : श्री सुनिल कुमार गौड

दायरा दिनांक: 01.06.2018

निर्णय दिनांक : 20.08.2019

उक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.09.2018 के अनुसार वादी, प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते की आराजी वाके माल बोहत जिसके खसरा नं0 1117/3139 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1118 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 1119 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 1120 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 1121 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1122 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 1123 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 1124 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 1200 रकबा 0.02 है0 कुल किता 9 रकबा 2.34 है0, हिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रेकार्ड स्थित है। खातेदारान के मध्य भौतिक व मौखिक रूप से बंटवारा हो चुका है तथा अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन कर्ता पिलाई जमा कराने में परेशानी आती है। मेड बंदी को लेकर आये दिन विवाद होता है इसलिए वादी को अपने हिस्से 1/2 को अपने खाते पृथक से दर्ज कराना आवश्यक हो गया है जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। अतः ग्राम बोहत की आराजी खसरा नं0 1117/3139 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1118 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 1119 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 1120 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 1121 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1122 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 1123 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 1124 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 1200 रकबा 0.02 है0 कुल किता 9 रकबा 2.34 है0 में से वादी का हिस्सा 1/2 वादी के कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज किया जावें। तथा पृथक से लगान कायम किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 01.06.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। दिनांक 25.09.2018 को वकील वादी उपस्थित है

AS  
उप खण्ड अधिकारी  
मांगरोल

अप्रार्थीगण को कई बार आवाज के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं होने से जवाब अवसर समाप्त कर अप्रार्थीगण को एक्स पार्टी किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, प्रदर्शों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 25.09.2018 को बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। वकील वादी द्वारा आराजी को कब्जे अनुसार ही पृथक-पृथक खाते दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः मुताबिक वाद पत्र, बयान गवाह वादी एवं बहस की रोशनी में वाद वादी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जाता है कि आराजी वाके माल बोहत की आराजी खसरा नं० 1117/3139 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 1118 रकबा 0.12 है०, खसरा नं० 1119 रकबा 0.35 है०, खसरा नं० 1120 रकबा 0.17 है०, खसरा नं० 1121 रकबा 0.19 है०, खसरा नं० 1122 रकबा 0.23 है०, खसरा नं० 1123 रकबा 0.75 है०, खसरा नं० 1124 रकबा 0.31 है०, खसरा नं० 1200 रकबा 0.02 है० कुल किता 9 रकबा 2.34 है० में मौके पर कब्जे अनुसार वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण कम 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू०अ०/2019/3079 दिनांक 01.08.2019 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम बोहत की जमाबंदी 2073-76 खाता संख्या 763 में खसरा नं० 1117/3139 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 1118 रकबा 0.12 है०, खसरा नं० 1119 रकबा 0.35 है०, खसरा नं० 1120 रकबा 0.17 है०, खसरा नं० 1121 रकबा 0.19 है०, खसरा नं० 1122 रकबा 0.23 है०, खसरा नं० 1123 रकबा 0.75 है०, खसरा नं० 1124 रकबा 0.31 है०, खसरा नं० 1200 रकबा 0.02 है० कुल किता 9 रकबा 2.34 है० हि० बराबर में दर्ज रेकार्ड है अतः विजय शंकर पुत्र जयकिशन कोली सा० देह रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मांगरोल के खसरा नं० 1117/3139 रकबा 0.03 है० दक्षिणी बरानी प्रथम, खसरा नं० 1118 रकबा 0.11 है० दक्षिणी बरानी प्रथम, खसरा नं० 1119 रकबा 0.17 है० दक्षिणी बरानी प्रथम, खसरा नं० 1123 रकबा 0.55 है० दक्षिणी बरानी प्रथम, खसरा नं० 1124 रकबा 0.31 है० बरानी प्रथम कुल किता 5 रकबा 1.17 है० तथा प्रतिवादी रामप्रताप पुत्र जयकिशन कोली सा० देह रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बोहत के खसरा नं० 1117 रकबा 0.17 है० बरानी प्रथम उत्तरी, खसरा नं० 1118 रकबा 0.01 है० बरानी प्रथम उत्तरी, खसरा नं० 1119 रकबा 0.18 है० बरानी प्रथम उत्तरी, खसरा नं० 1120 रकबा 0.17 बरानी प्रथम, खसरा नं० 1121 रकबा 0.19 है० बरानी प्रथम, खसरा नं० 1122 रकबा 0.23 है० बरानी प्रथम, खसरा नं० 1123 रकबा 0.20 है० बरानी प्रथम उत्तरी, खसरा नं० 1200 रकबा 0.02 है० गौ० मु० किता 8 रकबा 1.17 है० प्रस्तुत किया है।

  
उप खण्ड अधिकारी  
मांगरोल

अतः तहसीलदार मांगरोल के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी, प्रतिवादी क्रम 1 के शामिलती खाते की आराजी वाके माल बोहत जिसके खसरा नं0 1117/3139 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1118 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 1119 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 1120 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 1121 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1122 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 1123 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 1124 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 1200 रकबा 0.02 है0 कुल किता 9 रकबा 2.34 है0 का विभागजन कमशः विजय शंकर पुत्र जयकिशन कोली सा0देह रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मांगरोल के खसरा नं0 1117/3139 रकबा 0.03 है0 दक्षिणी बरानी प्रथम, खसरा नं0 1118 रकबा 0.11 है0 दक्षिणी बरानी प्रथम, खसरा नं0 1119 रकबा 0.17 है0 दक्षिणी बरानी प्रथम, खसरा नं0 1123 रकबा 0.55 है0 दक्षिणी बरानी प्रथम, खसरा नं0 1124 रकबा 0.31 है0 बरानी प्रथम कुल किता 5 रकबा 1.17 है0 तथा प्रतिवादी रामप्रताप पुत्र जयकिशन कोली सा0 देह रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बोहत के खसरा नं0 1117 रकबा 0.17 है0 बरानी प्रथम उत्तरी, खसरा नं0 1118 रकबा 0.01 है0 बरानी प्रथम उत्तरी, खसरा नं0 1119 रकबा 0.18 है0 बरानी प्रथम उत्तरी, खसरा नं0 1120 रकबा 0.17 बरानी प्रथम, खसरा नं0 1121 रकबा 0.19 है0 बरानी प्रथम, खसरा नं0 1122 रकबा 0.23 है0 बरानी प्रथम, खसरा नं0 1123 रकबा 0.20 है0 बरानी प्रथम उत्तरी, खसरा नं0 1200 रकबा 0.02 है0 गौ0 मु0 किता 8 रकबा 1.17 है0 खाते पृथक-पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। फाईल डिक्ली जारी हो। तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(आशीष कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
मांगरोल